

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू



एमसीआईआर

खंड XX

अंक 9

दिसंबर 2024



6 दिसंबर 2024 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य

I. मौद्रिक नीति

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने 6 दिसंबर 2024 को मौद्रिक नीति वक्तव्य दिया। अपने प्रारंभिक भाषण में गवर्नर ने 2024 की घटनापूर्ण यात्रा पर प्रकाश डाला। केंद्रीय बैंक लगातार भू-राजनीतिक संघर्षों, भू-आर्थिक विखंडन, वित्तीय बाजार में अस्थिरता और निरंतर अनिश्चितताओं द्वारा निर्मित नए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य के अनुकूल स्वयं को ढाल रहे हैं, जो सभी वैश्विक अर्थव्यवस्था की आघात-सहनीयता की परीक्षा ले रहे हैं। उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) दोनों के लिए अवस्फीति की अंतिम मंजिल लंबी और कठिन होती जा रही है। इन वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत संतुलित संवृद्धि और आघात-सहनीयता के स्थिर पथ पर बना हुआ है, जो व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

एमपीसी ने संवृद्धि को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप लाने के लिए अपना रुख 'तटस्थ' बनाए रखते हुए नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत बनी हुई है।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति के आकलन पर टिप्पणी करते हुए, गवर्नर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने कई प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 2024 में असामान्य आघात-सहनीयता दिखाई है। मुद्रास्फीति धीरे-धीरे अपने बहु-दशकीय उच्च स्तर से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, जिससे कई केंद्रीय बैंक नीतिगत बदलाव करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। वैश्विक व्यापार भू-राजनीतिक ब्लॉकों तक सीमित मात्रा में वृद्धि के साथ आघात-सह बना हुआ है। पिछली एमपीसी बैठक के बाद से, बढ़ते अमेरिकी डॉलर और मजबूत बांड प्रतिफल के कारण वित्तीय बाजार अनिश्चित बने हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उभरते बाजारों से बड़ी मात्रा में पूंजी का बहिर्वाह हुआ है और इक्विटी बाजारों में अस्थिरता आई है। आगे चलकर, संरक्षणवाद की बढ़ती प्रवृत्तियों के कारण संभावना धुंधली हो जाएगी, जिससे वैश्विक संवृद्धि कमजोर हो सकती है तथा मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति और संवृद्धि की इन स्थितियों का क्या मतलब है?

गवर्नर ने बताया कि अक्टूबर की नीति के बाद से भारत में निकट अवधि की मुद्रास्फीति और संवृद्धि के परिणाम कुछ हद तक प्रतिकूल हो गए हैं। मुद्रास्फीति पर मध्यम अवधि का पूर्वानुमान लक्ष्य के साथ आगे संरेखण का सुझाव देता है, जबकि संवृद्धि में तेजी आने की उम्मीद है। लगातार उच्च मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम करती है और उपभोग और निवेश मांग दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। संवृद्धि के लिए इन कारकों का समग्र निहितार्थ नकारात्मक है। इसलिए, सतत संवृद्धि के लिए मूल्य स्थिरता आवश्यक है। दूसरी ओर, संवृद्धि में मंदी - यदि यह एक सीमा से अधिक बनी रहती है - तो नीतिगत समर्थन की आवश्यकता हो सकती है।

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थितियाँ

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति के बारे में बोलते हुए, गवर्नर ने बताया कि त्योहारी सीजन के दौरान प्रचलन में मुद्रा में उल्लेखनीय वृद्धि और पूंजी बहिर्वाह के बावजूद, उच्च सरकारी व्यय के कारण अक्टूबर-नवंबर के दौरान प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में बनी रही। इन स्थितियों को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने अधिशेष चलनिधि को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से परिवर्ती दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) परिचालन संचालित किया।

वित्तीय स्थिरता

गवर्नर ने कहा कि बैंकों और एनबीएफसी के वित्तीय मापदंड मजबूत बने हुए हैं। प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण और जमा की वृद्धि के बीच का अंतर कम हो गया है, तथा जमा की वृद्धि ऋण वृद्धि के साथ तालमेल बनाए हुए है। वित्तीय क्षेत्र और इसकी संस्थाओं पर रिजर्व बैंक की निगरानी लगातार सतर्क और सक्रिय बनी हुई है। प्रणालीगत या संस्था स्तर पर तनाव के शुरुआती संकेतों पर बारीकी से नजर रखी जाती है और सक्रिय कार्रवाई शुरू की जाती है।

बाह्य क्षेत्र

गवर्नर ने बताया कि अक्टूबर में भारत का पण्य निर्यात 28 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पण्य आयात में भी लगातार सातवें महीने वृद्धि हुई। सेवाओं के निर्यात में उछाल जारी रहा और 2024-25 की दूसरी तिमाही के साथ-साथ अक्टूबर 2024 में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। मजबूत सेवा निर्यात और मजबूत प्रेषण प्राप्तियों के कारण 2024-25 के दौरान चालू खाता घाटा (सीएडी) को टिकाऊ स्तरों के भीतर रखने की उम्मीद है। पूरा वक्तव्य पढ़ने के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-3
II. विनियमन	3
III. भुगतान और निपटान प्रणाली	3
IV. वित्तीय समावेशन	4
V. प्रकाशन	4
VI. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

जैसा कि हम 2024 को विदाई दे रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, आघात सहनीयता और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है, जो उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाती है और संवृद्धि के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करती है। इस वर्ष भारत ने वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने तथा घरेलू चुनौतियों का दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता के साथ समाधान करने में अपनी ताकत को उजागर किया।

2024 भारत के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि का वर्ष रहा है, जो एक समृद्ध भविष्य को आकार देने में चपलता, नवाचार और समावेशिता की शक्ति को रेखांकित करता है। जैसे-जैसे हम 2025 की ओर बढ़ रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था नए आशावाद और एक उज्ज्वल, अधिक स्थिर भविष्य की आशा के साथ आगे बढ़ रही है।

हम तथ्यपरक सटीक सूचना निरंतर साझा करने, गहन समझ को बढ़ावा देने और संपर्क में बने रहने के अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

को <https://websites.rbi.org.in/web/rbi/publications/articles?category=2492809> पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

पुनीत पंचोली

संपादक

खंड XX

अंक 9

एमपीसी का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के पश्चात, एमपीसी ने 6 दिसंबर 2024 की अपनी बैठक में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखने का निर्णय लिया।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत् बनी हुई है।

एमपीसी ने मौद्रिक नीति के लिए तटस्थ रुख को जारी रखने और संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ टिकाऊ आधार पर संरेखित करने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिया। ये निर्णय संवृद्धि को समर्थन देते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के लिए +/- 2 प्रतिशत के दायरे में 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियां

यह वक्तव्य (i) चलनिधि और वित्तीय बाजार; (ii) विनियमन; (iii) संचार; (iv) वित्तीय समावेशन; (v) भुगतान प्रणाली; और (vi) फिनटेक से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है।

i) चलनिधि और वित्तीय बाजार

1. आरक्षित नकदी निधि अनुपात को कम करना

सभी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 25 बीपीएस की दो बराबर शृंखलाओं में 50 बीपीएस घटाकर निबल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 4.0 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो क्रमशः 14 दिसंबर 2024 और 28 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होगा। इससे वापस सीआरआर एनडीटीएल के 4 प्रतिशत हो जाएगा, जो अप्रैल 2022 में नीति के सख्ती चक्र की शुरुआत से पहले लागू था। सीआरआर में इस कमी से बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹ 1.16 लाख करोड़ की प्राथमिक चलनिधि आएगी।

2. एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें

वर्तमान में, विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [एफसीएनआर (बी)] जमाराशियों पर ब्याज दरें 1 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक की परिपक्वता अवधि की जमाराशियों के लिए संबंधित मुद्रा/स्वैप के लिए एक-दिवसीय बैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) में 250 आधार अंक के योग की अधिकतम सीमा तथा 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि की जमाराशियों के लिए एक-दिवसीय एआरआर में 350 आधार अंक के योग की अधिकतम सीमा के अधीन हैं। और अधिक पूंजी अंतर्वाह को आकर्षित करने के लिए, एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, आज (6 दिसंबर 2024) से बैंकों को 1 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक की परिपक्वता अवधि की नई एफसीएनआर (बी) जमाराशियों को एआरआर प्लस 400 बीपीएस तक की दरों पर तथा 3 से 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि की जमाराशियों को एआरआर प्लस 500 बीपीएस तक की दरों पर जुटाने की अनुमति है। यह छूट 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी।

3. भारत कनेक्ट के साथ संबद्धता के माध्यम से एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म की पहुंच का विस्तार

उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से व्यक्तियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विदेशी मुद्रा के मूल्य निर्धारण में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के उद्देश्य से, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) ने 2019 में एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। वर्तमान में, एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म को इंटरनेट-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म की पहुंच का विस्तार करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए, एनपीसीआई भारत कनेक्ट द्वारा संचालित भारत कनेक्ट (जिसे पहले भारत बिल भुगतान प्रणाली के रूप में जाना जाता था) के साथ एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म को संबद्ध करने की सुविधा का प्रस्ताव है। यह संबद्धता उपयोगकर्ताओं को बैंकों (मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग आदि)

और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाताओं, जो भारत कनेक्ट के साथ एकीकृत हैं, के ऐप के माध्यम से एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और लेनदेन करने में सक्षम बनाएगा।

4. सुरक्षित एक-दिवसीय रुपया दर (एसओआरआर) की शुरुआत

रिजर्व बैंक ने देश में रुपया ब्याज दर बेंचमार्क, विशेष रूप से मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (माइबोर) के उपयोग की समीक्षा करने और नए बेंचमार्क में बदलाव की आवश्यकता की जांच करने के लिए माइबोर बेंचमार्क पर एक समिति (अध्यक्ष: श्री रामनाथन सुब्रमण्यन) का गठन किया था। समिति ने ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार को और विकसित करने तथा ब्याज दर बेंचमार्क की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों की सिफारिश की। समिति की रिपोर्ट रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई, जिसमें जन सामान्य से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं।

ii) विनियमन

5. 'Connect 2 Regulate' – निष्पक्ष विनियमन के लिए एक पहल

रिजर्व बैंक अपने विनियमनों को तैयार करने में हितधारकों के साथ लगातार बहुआयामी परामर्श प्रक्रिया का पालन करता रहा है। इसी दिशा में एक और सक्रिय कदम के रूप में, रिजर्व बैंक ने जारी RBI@90 स्मरणोत्सव कार्यक्रमों के अंतर्गत Connect 2 Regulate नामक एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इस कार्यक्रम के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर एक समर्पित खंड उपलब्ध कराया जाएगा।

iii) संचार

6. संचार के अतिरिक्त माध्यम के रूप में पॉडकास्ट सुविधा की शुरुआत

पिछले कुछ वर्षों में रिजर्व बैंक सोशल मीडिया सहित अपनी जन जागरूकता गतिविधियों के दायरे का विस्तार कर रहा है। इस प्रयास को जारी रखते हुए, रिजर्व बैंक आम जनता के हित से संबंधित जानकारी के व्यापक प्रसार के लिए पॉडकास्ट शुरू करने का प्रस्ताव करता है।

iv) वित्तीय समावेशन

7. संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण – सीमा में वृद्धि

वर्तमान में बैंकों द्वारा प्रति उधारकर्ता ₹1.6 लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण प्रदान करना अपेक्षित है। वर्ष 2010 में निर्धारित ₹1 लाख की सीमा को वर्ष 2019 में बढ़ाकर ₹1.6 लाख कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक समग्र मुद्रास्फीति और कृषि इनपुट लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख करने का निर्णय लिया गया है।

v) भुगतान प्रणाली

8. यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्था – एसएफबी तक दायरा बढ़ाना

सितंबर 2023 में, पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्थाओं को एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के माध्यम से जोड़कर और भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निधीयन खाते के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के दायरे का विस्तार किया गया था। यूपीआई पर ऋण व्यवस्था में 'नए-क्रेडिट-वाले' ग्राहकों को कम-टिकट, कम-अवधि के उत्पाद उपलब्ध कराने की क्षमता है।

vi) फिनटेक

9. वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (FREE-AI) के दायित्वपूर्ण और नैतिक उपयोग के लिए रूपरेखा - एक समिति का गठन

अग्रणी प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ वित्तीय क्षेत्र परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/ मशीन लर्निंग (एमएल), टोकनाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी प्रौद्योगिकियां वित्तीय

गवर्नर की नियुक्ति

श्री संजय मल्होत्रा, 1990 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, ने 11 दिसंबर 2024 से अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। इस से पहले, वे वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव तथा वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार में सचिव के पद पर कार्यरत थे। विद्युत, वित्त, कराधान और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में व्यापक अनुभव के साथ, श्री मल्होत्रा ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित राज्य और केंद्र सरकार दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने फरवरी से नवंबर 2022 तक रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में भी कार्य किया। श्री मल्होत्रा आईआईटी, कानपुर से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक हैं तथा उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय, अमेरिका से सार्वजनिक नीति में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है।

क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी क्षमता रखती हैं क्योंकि वे बड़ी मात्रा में डेटा का प्रबंधन कर सकती हैं, जटिल प्रक्रियाओं को स्वचालित कर सकती हैं, निर्णयन क्षमता को बढ़ा सकती हैं और अभूतपूर्व दक्षता ला सकती हैं।

10. अवैध धन वाहक (म्यूल) बैंक खातों की पहचान करने के लिए एआई समाधान – MuleHunter.AI™

भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने और कम करने के लिए बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में विभिन्न उपाय करता रहा है। इनमें साइबर सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम और लेन-देन की निगरानी को मजबूत करने के लिए विनियमित संस्थाओं को रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश शामिल हैं। रिज़र्व बैंक वर्तमान में "शून्य वित्तीय धोखाधड़ी" विषय पर एक हैकथॉन चला रहा है जिसमें अवैध धन वाहक खातों पर एक विशिष्ट समस्या विवरण शामिल है, ताकि अवैध धन वाहक खातों के उपयोग को रोकने के लिए नवोन्मेषी समाधानों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। इस दिशा में एक और पहल है एआई/एमएल आधारित मॉडल जिसे MuleHunter.AI™ कहा जाता है, जिसे रिज़र्व बैंक की सहायक संस्था रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह मॉडल कुशल तरीके से अवैध धन वाहक बैंक खातों का पता लगता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

एमपीसी का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडवी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति की 52वीं बैठक 4 से 6 दिसंबर 2024 के दौरान आयोजित की गई थी।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने 20 दिसंबर 2024 को, अर्थात् एमपीसी की बैठक के 14वें दिन, बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त प्रकाशित किया।

एमपीसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र के निष्पादन, ऋण की स्थिति, औद्योगिक, सेवाओं और आधारभूत संरचना क्षेत्रों की संभावनाएं और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

II. विनियमन

ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने हेतु ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2024 को अपने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान ढांचे को अद्यतन किया, जिसे शुरू में 3 जनवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यूपीआई लाइट लेनदेन के लिए वृद्धि की गई है। अद्यतित दिशा-निर्देशों के अनुसार, यूपीआई लाइट के लिए लेन-देन की सीमा को बढ़ाकर ₹1,000 प्रति लेनदेन कर दिया गया है, जिसमें किसी भी समय प्रति भुगतान लिखित की कुल सीमा ₹5,000 है। यह परिवर्तन 9 अक्टूबर 2024 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के बाद किया गया है तथा इसे संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 और धारा 10(2) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

एफसीएनआर(बी) जमा पर ब्याज दरें

रिज़र्व बैंक ने 6 दिसंबर 2024 से नए एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो 6 दिसंबर 2024 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य और एफसीएनआर (बी) जमा के लिए ब्याज दरों पर संबंधित मास्टर निदेशों के प्रावधानों के अनुसार है। नई अधिकतम सीमा संबंधित मुद्रा/स्वैप के लिए ओवरनाइट बैकलिपिक संदर्भ दर (एआरआर) प्लस 400 आधार अंक निर्धारित की गई है, जो 1 वर्ष से 3 वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों के लिए है, तथा एआरआर प्लस 500 आधार अंक, 3 वर्ष से 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों के लिए है। यह छूट 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात का अनुरक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 दिसंबर 2024 को सभी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 25 बीपीएस की दो बराबर शृंखलाओं में 50 बीपीएस घटाकर निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 4.0 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, बैंकों को 14 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सीआरआर को एनडीटीएल के 4.25% पर और 28 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 4.00% पर बनाए रखना होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

रूपरेखा – FREE AI

रिज़र्व बैंक ने 26 दिसंबर 2024 को वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (FREE-AI) के दायित्वपूर्ण और नैतिक सक्षमता के लिए एक रूपरेखा विकसित करने हेतु एक समिति का गठन किया। फिनटेक विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा। समिति आवश्यकतानुसार परामर्श के लिए तथा/या अपने विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए डोमेन विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों, आरबीआई विभागों तथा अन्य हितधारकों को भी आमंत्रित कर सकती है। समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

लाभार्थी खाता नाम देखने की सुविधा – एनईएफटी और आरटीजीएस

रिज़र्व बैंक ने 30 दिसंबर 2024 को तत्काल सकाल निपटान (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणालियों के लिए लाभार्थी खाता नाम देखने की सुविधा शुरू की, जो एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) और तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) में उपलब्ध सुविधा के समान है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 612वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 612वीं बैठक 20 दिसंबर 2024 को गुवाहाटी में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बोर्ड ने बैंक के गवर्नर के रूप में श्री शक्तिकान्त दास द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं की सराहना की।

बोर्ड ने वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक स्थिति और संभावना की समीक्षा की, तथा चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियों के साथ-साथ भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति, 2023-24 संबंधी रिपोर्ट के मसौदा पर चर्चा की।

IV. वित्तीय समावेशन

कृषि हेतु ऋण प्रवाह

रिज़र्व बैंक ने 6 दिसंबर 2024 को बढ़ती मुद्रास्फीति और कृषि निविष्टि लागतों को देखते हुए, संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सहित संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋणों की सीमा को ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख प्रति उधारकर्ता करने का निर्णय लिया। तदनुसार, बैंकों को प्रति उधारकर्ता ₹2 लाख तक के ऐसे ऋणों के लिए संपार्श्विक सुरक्षा और मार्जिन आवश्यकताओं को माफ करने का निर्देश दिया जाता है। बैंकों को 1 जनवरी 2025 तक इन संशोधित निर्देशों को लागू करना आवश्यक है और उन्हें इन परिवर्तनों को पर्याप्त रूप से प्रचारित करने की भी सूचना दी जाती है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

ii) सरकारी वित्त 2024-25: अर्ध-वार्षिक समीक्षा

iii) दैनिक आरक्षित निधि रखरखाव में बैंकों का व्यवहार

iv) वास्तविक प्रभावी विनिमय दर और भारत के व्यापार संतुलन पर इसके प्रभाव

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 दिसंबर 2024 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुपालन में 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24' जारी की। यह रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के दौरान और 2024-25 में अब तक, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित बैंकिंग क्षेत्र के कार्य-निष्पादन को प्रस्तुत करती है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 30 दिसंबर 2024 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का 30वां अंक जारी किया, जो भारतीय वित्तीय प्रणाली की आघात सहनीयता और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

VI. जारी आंकड़े

दिसंबर 2024 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र.सं	आंकड़े
1	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी), सितंबर 2024
2	नवंबर 2024 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
3	उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) - नवंबर 2024
4	परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण (आईईएसएच) - नवंबर 2024
5	समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण - 91 दौर
6	भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएँ: 2023-24
7	दिनांक 13 दिसंबर 2024, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण

V. प्रकाशन

भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक, 2023-24

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 दिसंबर 2024 को "भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक, 2023-24" शीर्षक से अपने सांख्यिकीय प्रकाशन के नौवें संस्करण को जारी किया। इस प्रकाशन के माध्यम से, भारतीय रिज़र्व बैंक भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक आंकड़ों का प्रसार करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

राज्य वित्त: 2024-25 के बजट का अध्ययन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 दिसंबर 2024 को "राज्य वित्त: 2024-25 के बजट का अध्ययन" रिपोर्ट जारी की। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय है "राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधार"। यह रिपोर्ट क्रमशः 2022-23 और 2023-24 के लिए वास्तविक और संशोधित/अंतिम खातों की पृष्ठभूमि के सापेक्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकारों के वित्त का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है। यह प्रकाशन आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के राज्य वित्त प्रभाग में तैयार किया गया है। रिपोर्ट के पिछले अंकों के साथ-साथ वर्तमान अंक भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (<http://www.rbi.org.in/>) पर उपलब्ध है। इस प्रकाशन पर टिप्पणियां, निदेशक, राज्य वित्त प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, अमर भवन (छठी मंजिल), भारतीय रिज़र्व बैंक, सर फिरोजशाह मेहता रोड, मुंबई- 400 001 को भेजी जा सकती हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहां](#) क्लिक करें।

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2024 को अपने मासिक बुलेटिन का दिसंबर 2024 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (4-6 दिसंबर) 2024-25, दस भाषण, चार आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। ये चार आलेख इस प्रकार हैं: i) अर्थव्यवस्था की स्थिति